

ज्यायालय उप जिला कलेक्टर हि

फर्द अहकाम

दिनांक
11.02.17

पद्मावली राठौर लोक अदालत बिक्री में
पेग हुई। गैर साफल नं० 2 के अत्याव पेश
कर कागूह किम कि साफल द्वारा प्रस्तुत
L.R. Act 136 प्रकरण में सैलमन राजसख रिकार्ड
नकल जमावंदी सम्वत 2067-70 के खाता सं०
1141 में अंकित हाल खब० नं० किता 13 रकवा 5.34 है।
जिसके मिलान क्षेत्रफल मुताबिक साविक ख० नं० 5940 रकवा
20 में बने हुए हैं। भू प्रबंधन ड्रॉ की जमावंदी सम्वत
2033-36 एवं 2036-40 के खाता सं० 9366 पर अंकित नोट
पर शर्ची के पिता का नाम रामखिलाड़ी पुत्र रामोली दर्ज
अंकित है। परन्तु भू प्रबंधक द्वारा खतौनी सं० 629 पर
हाल खसरा नम्बरान किता 93 रकवा 5.34 है पर
खिलाड़ी पुत्र रामोली दर्ज कर दिया जो सखन से
दर्ज होना प्रतीत होता है। शर्ची के पिता का नाम
रामखिलाड़ी पुत्र रामोली दर्ज किये जाने की आशंका
की जाती है।

वकील वादी की बहस एवं पद्मावली में
उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार हिण्डौन की आशंका
के आधार पर, साविक रिकार्डनुसार हाल जमावंदी
सम्वत 2067-70 ग्राम कस्बा हिण्डौन ABCD के
खाता सं० 1141 में रामखिलाड़ी पुत्र रामोली, खिलाड़ी
पुत्र रामोली के स्थान पर दर्ज कर नुदिरहित किया जाने।
उक्त आशय का आदेश मूद्यक से जारी किया जाने।
पद्मावली कैंसल सुधार होकर नम्य से कर की जाकर
वाड तकमील दाखिल दफ्तर किया जावे।

उपसभ्द अधिकारी
हिण्डौन